परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)

परियोजना क्रियान्वयन इकाइयॉ (पी.आई.यू.) योजना बनाने उसका क्रियान्वित करने तथा लेखा संधारण करने के लिए मूलभूत इकाई हैं। एक पी.आई.यू. एक या एक से अधिक यांत्रिकीय संभागों की हो सकती है जिसका कि मुखिया एक कार्यपालन यंत्री या अधीक्षण यंत्री होगा। पी.आई.यू. की सीधी जवाबदारी पीएमजीएसवाय के कार्यो का संविदा क्रियान्वयन तथा उनका गुणवत्ता प्रबंधन की होगी। पी.आई.यू. मैदानी स्तर पर लेखा एवं वित्तीय केन्द्र भी रहेगा।

पीएमजीएसवाय में उच्च स्तरीय प्रबंधन गुणवत्ता तथा लेखा के मापदण्ड ऊॅचे हैं इसलिये पी.आई.यू. की स्थापना एवं प्रचालन निम्न बातों का विशेष ध्यान देना होगा :–

- पी.आई.यू. व्यक्तियों के नियोजन की दृष्टि से है। पर्याप्त रूप से पीएमजीएसवाय के प्रति निष्ठावान होनी चाहिये। अतः यह आवश्यक है कि जिस संभाग में पीएमजीएसवाय का कार्यभार रूपये एक करोड़ तक हो वहां एक कनिष्ठ अभियंता विशिष्ट रूप से प्रभार में होना चाहिये। एक से पांच करोड़ रूपये के भार पर एक सहायक यंत्री या सहायक कार्यपालन यंत्री विशिष्ट रूप से प्रभार में होना चाहिये जिसकी मद्द के लिए समर्पित कनिष्ठ यंत्रियों का होना आवश्यक है । जहां पांच करोड़ रूपये या उससे अधिक का कार्य हो वहां एक कार्यपालन यंत्री प्रभार में होना चाहिये और ऐसा संभाग विशिष्ट रूप से पीएमजीएसवाय कार्य के लिए समर्पित होना चाहिये।
- पीआईयू के पीएमजीएसवाय कार्मिकों को नियमित रूप से तकनीकी, लेखा, संविदा प्रबंधन तथा गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिये। एसआरआरडीए को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम एसटीए तथा एनआरआरडीए के समन्वय से करना चाहिये।
- पीआईयू के पीएमजीएसवाय कार्मिकों का कार्यकाल सामान्यतः न्यूनतम 3 वर्ष होना चाहिये। विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारियों का अल्प अवधि में स्थानांतरण पीएमजीएसवाय जैसे कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं जिससे प्रदेश को प्राप्त होने वाले अनुदान पर नकारात्मक असर पड़ता है।
- पीआईयू के पर्वक्षकीय ढांचे का विभागीय संरचना एवं पीएमजीएसवाय आवश्यकताओं के अनुसार समन्वय आवश्यक है। इसी लिये यह आवश्यक है कि पर्याप्त तकनीकी एवं वित्तीय अधिकारी/कार्यपालन यंत्री तथा अधीक्षण यत्रियों को विभागीय वर्क्स मेन्युअल व वित्तीय संहिता के अनुसार प्रत्यायोजित किये जाए।
- पीआईयू सीधे तौर पर एसआरआरडीए के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये। न केवल कार्यपालन यंत्री को एसआरआरडीए का अधिकारी घोषित करना चाहिये (जिससे कि वह एसआरआरडीए के खातों तक पहुंच सके) अपितु उनके पर्यवेक्षकीय अधिकारी यथा– अधीक्षण यंत्री तथा मुख्य अभियंता को भी एसआरआरडीए के प्रति जिम्मेदार बनाया जावे। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक है कि

पीएमजीएसवाय का प्रभारी मुख्य अभियंता एसआरआरडीए का एक वरिष्ठ अधिकारी हो तथा वह एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी में ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित हों जिससे कि वह कार्यपालन यंत्री तथा अधीक्षण यंत्री के गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिवेदक या पुनरीक्षण अधिकारी के रूप में अपनी टिप्पणी दे सके।

2.4 राज्य स्तरीय स्थायी समिति

राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) का गठन राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में करना चाहिये जिससे कि कार्यक्रम का गूढ़ और प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके और कार्यो का क्रियान्वयन समय पर और उचित तरीके से किया जाने पर देखरेख रखी जावे। एसएलएससी में कार्यक्रम के निम्न भागीदारी होने चाहिए :–

- कार्यक्रम विभाग के सचिव (ग्रामीण विकास विभाग तथा लोक निर्माण विभाग)
- परिवहन, वित्त, वन तथा पर्यावरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के सचिव
- राज्य सूचना अधिकारी (एनआईसी) तथा
- राज्य तकनीकी एजेन्सियां (एसटीएएस)

नोडल विभाग का सचिव सदस्य सचिव होगा।

समिति कोर नेटवर्क, सीएनसीपीएल तथा सीयूपीएल को मंजूरी देगी और वार्षिक परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति देगी। इसके अतिरिक्त हर तिमाही समिति निम्न चीजों की समीक्षा करेगी :–

- चल रहे कार्यो की प्रगति
- गुणवत्ता नियंत्रण (राज्य स्तर पर दूसरा चरण)
- क्रियान्वयन एजेन्सी की क्षमता बढ़ौतरी तथा प्रशिक्षण
- कम्प्यूटरीकृत ऑन लाईन परियोजना तथा लेखा प्रबंधन
- रखरखाव के निधयों का बजरिंग
- सड़कों के लिए भूमि की उपलब्धता तथा वनों व पर्यावरण अनुमतियां
- पीएमजीएसवाय निर्मित सड़कों पर लोक यातायात की व्यवस्था
- सड़क सुरक्षा के बिन्दु
- ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ समरूपता आदि
- ग्रामीण सड़क नीति से संबंधित बिन्दु

पीएमजीएसवाय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल में आवश्यक पहुंच बनाना तथा आर्थिक गतिविधियों की गति को बढ़ाना और सामाजिक सेवाओं को पहुंचा बढ़ाना है। इसलिये एसएलएससी की यह महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह नयी संरचना से निर्मित विकास की संभावनाओं का पूर्ण दोहन करे।

2.5 राज्य तकनीकी संस्थाएँ

मुख्य रूप से राज्य इस कार्यक्रम के लिए उत्तरदायीं हैं लेकिन डिजाईन तथा तकनीकी आर्थिक नवीनता के तकनीकी समावेश के लिए एनआरआरडीए ने राज्य तकनीकी संस्थाओं की नियुक्ति राज्यों को मद्द करने के लिए की है। इन संस्थाओं के मुख्य कार्य निम्न अनुसार हैं :–

- जिला ग्रामीण सड़क योजना जो कि जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई(पीआईयू) के द्वारा बनाई गई है उसका सत्यापन
- कोर–नेटवर्क का पश्चातवर्ती परीक्षण
- जिला पीआईयू द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का परीक्षण
- पीआईयू को डिजाईन व विशेषकर सीडी कामों में तकनीकी सहायता देना।
- जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाइयों एवं राज्य गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के द्वारा तैयार सड़कों के डिजाईन एवं गुणवत्ता के पैमानों की जांच करना।
- प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा विकास का अनुश्रवण
- राज्य सरकार की अनुशंसा पर गुणवत्ता के आधार पर संस्थाओं का चयन किया जाएगा।
- यह आवश्यक है कि एसटीए के सदस्य सिविल इंजीनियरिंग की पृष्ठ भूमि तथा योग्यता धारित करते हों जिसमें से एक या अधिक के विर्निदिष्ट विषय ट्रेफिक/परिवहन या राजमार्ग यांत्रिकी हो।
- संस्था के पास पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशाला हो जिसमें कि परीक्षण के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों; तथा
- संस्था के पास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधोसंचना, सुविधा होनी चाहिये।

2.6 प्रबंधन तथा अनुश्रवण प्रणाली

क्योंकि पीएमजीएसवाय स्पष्ट तथा विस्तृत प्रक्रिया पर आधारित है जिसके अंदर समय व गुणवत्ता के मानक निहित हैं इसलिये कार्यक्रम का प्रबंधन तथा अनुश्रवण न केवल काफी व्यवस्थित है अपितु कम्प्यूटरीकरण के योग्य भी है।

सी–डेक, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक इकाई है, के द्वारा एक ऐसा ऑन–लाईन, इन्टरनेट आधारित कम्प्यूटर साफ्टवेयर तैयार किया है जिससे निम्न कार्य हो सकें :–

- ग्रामीण सड़कों का डेटा–बेस तैयार किया जाना।
- वार्षिक प्रस्तावों, परियोजना बनाने से लेकर कार्यों के पूर्ण होने तक सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाना।
- एक सरल व पारदर्शी लेखा प्रणाली उपलब्ध कराना।

- रख–रखाव प्रबंधन सुनश्चित किया जाना।

ऑन–लाईन अनुश्रवण तथा प्रबंधन प्रणाली (ओएमएमएस) के मुख्य सिद्धांत निम्न हैं :–

- डेटा को शुरूआती स्तर पर अंकित किया जा सके अर्थात पीआईयू स्तर पर
- उपरोक्त डेटा प्रसंस्कृत रूप में एसआरआरडीए तथा एनआरआरडीए के स्तर पर इस सुविधा के साथ उपलब्ध हो सके जिससे न्यूनतम इकाई जैसे सड़का या बसाहट स्तर की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो।
- एमआईएस आउटनुट इस तरीके से प्राप्त किये जा सकें जिससे वह एसआरआरडीए तथा एनआरआरडीए के आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और कागजी कार्यवाहियों में कमी लाई जा सके।

ओएमएमएस का विकास नागरिकों के लिये एक पारदर्शी वेबसाइट पर आधारित सूचना तंत्र के रूप में विकसित किया गया है जो कि सभी संबंधित पक्षों यथा– पीआईयूस, एसआरआरडीए, एसटीए, एसक्यूसी, एनआरआरडीए, एनक्यूएम इत्यादि की पहुंच मे हो और इन सभी स्त्रोतों से जानकारियों को एकत्रित करने का स्त्रोत बन सके। पीएमजीएसवाय के क्रियान्वयन करने वाली संस्था के प्रभावी कार्यप्रणाली और ओएमएमएस के सफल और निरंतर प्रचलन का आपस में गहरा जुड़ाव तथा प्रतीकात्मक संबंध है। ओएमएमएस की कार्य–प्रणाली का संबंध परस्पर लाभकारी है।

गुणवत्ता आश्वासन एवं नियंत्रण प्रणाली हेतु मार्गदर्शिका

1. प्रस्तावना
2. गुणवत्ता नियंत्रण हेण्ड–बुक एवं गुणवत्ता नियंत्रण पंजी
3. प्रथम स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण
4. द्वितीय स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण
5. तृतीय स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण
6. गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं

1. प्रस्तावना :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक त्रि–स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तथा गुणवत्ता अनुश्रवण प्रणाली की परिकल्पना करता है।

अ. प्रथम स्तर पर पीआईयू/पीआईयू के कार्य का प्रभारी वरिष्ठ अभियंता होगा। ठेकेदार गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना करेगा और उनमें संविदा मे निर्धारित परीक्षण करेगा। परीक्षण के परिणाम निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण पंजी में दर्ज किये जाऐंगे। पीआईयू के अभियंता निर्धारित प्रतिशत, जो कि अनुच्छेद–3 में दिये गये हैं, के अनुसार उपरोक्त जांचों को देखेंगे। सभी संबंधित अधिकारी अपने आकलन गुणवत्ता नियंत्रण पंजी में दर्ज करेंगे।

ब. द्वितीय स्तर पर राज्य गुणवत्ता नियंत्रण कॉर्डीनेटर (एसक्यूसी) एवं नोडल एजेन्सी के द्वारा नियुक्त कर्मचारी समय–समय जांच करेंगे जो कि पीआईयू से स्वतंत्र होगी।

स. तीसरे स्तर पर राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) होंगे जिनकी नियुक्ति एनआरआरडीए द्वारा इस उद्देश्य के लिए की जावेगी और जो कि राज्य/केन्द्रीय संस्थानों के सेवानिवृत्त वरिष्ठ यंत्री होंगे। एनक्यूएम प्राथमिकता सूची में से रेण्डम सेम्पलिंग के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यो की गुणवत्ता जांच करेंगे जिसका कि मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन व राज्य गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। एनक्यूएम से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे समस्याओं की जानकारी देने के साथ–साथ प्रक्रियों के संबंध में रचनात्मक सुझाव देंगे। एसक्यूसी, एनक्यूएम द्वारा उठाये गये बिन्दुओं तथा एनआरआरडीए के संप्रेक्षण का समाधान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

2. गुणवत्ता नियंत्रण हेण्ड–बुक एवं गुणवत्ता नियंत्रण पंजी

सड़कों की गुणवत्ता निश्चित करने के जवाबदारी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों की है जो कि इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं। एनआरआरडीए ने एक गुणवत्ता नियंत्रण हेण्डबुक प्रकाशित की है जिसका कि पालन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। गुणवत्ता नियंत्रण पंजी बगैर

किसी अपवाद के हर कार्य के लिए संधारित की जानी चाहिये। ठेकेदार को तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक कि आवश्यक परीक्षण जो कि ग्रामीण सड़क मेन्युअल तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेण्ड–बुक में दिये हैं, पूर्ण नहीं किये जाते और जब तक उनके परिणाम निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाए जाएं। गुणवत्ता नियंत्रण पंजी का संधारण दो भागों में किया जाएगा। प्रथम भाग में गुणवत्ता नियंत्रण पंजी में परीक्षणों का रिकार्ड रखा जाएगा एवं द्वितीय भाग में उपरोक्त परीक्षणों का संक्षेप विवरण तथा नॉन कन्फरेमेस रिपोर्ट होगी।

अ. पंजी भाग–1: पंजी का प्रथम भाग वह है जिसमें कि समस्त गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण जो कि मूलभूत गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के लिए जवाबदार व्यक्ति के द्वारा किये गये हो उन्हें अंकित किया जायेगा। गुणवत्ता नियंत्रण के प्रावधानों के अंतर्गत अनुबंध के अनुसार प्रत्येक ठेकेदार को प्रत्येक सड़क के कार्य के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण पंजी दी जाएगी। यह पंजी सदैव कार्य–स्थल पर उपलब्ध होना चाहिये और इसे किसी भी परिस्थिति में कार्यस्थल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। इस पंजी के प्रथम भाग में निम्न तीन खंड होंगे :–

खंड–1 : अर्थ वर्क

खंड–2 : ग्रेन्युलर निर्माण

खंड–3 : बिटूमिनस निर्माण

ब. पंजी भाग–दो : पंजी के द्वितीय भाग में विभिन्न प्रयोगों का सारांश व उनकी निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने की टीका अंकित की जाएगी। इस पंजी का संधारण साइट के प्रभारी अधिकारी जो कि सहायक यंत्री के स्तर के नीचे का अधिकारी नहीं होगा, के द्वारा की जाएगी।

स. गुणवत्ता निर्धारण पंजी उसी प्रकार जारी की जाएगी जैसे कि माप–पुस्तिका जारी की जाती है। इस पंजी के हर पृष्ठ पर पृष्ठ–क्रमांक डाला जाएगा और किसी भी पृष्ठ को हटाया नहीं जा सकता। पीआईयू के प्रमुख द्वारा इस पंजी के जारी की जाने का रिकार्ड रखा जाएगा।

द. पहाड़ी सड़कों के प्रकरण में जहां पर केवल फारमेशन कटिंग का कार्य किया जाता है वहां अर्थवर्क सेक्शन के सभी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और केवल सीबीआर व काम्पेक्शन का प्रयोग पर्याप्त होगा। ऐसे प्रकरणों में संबंधित फारमेट की भी आवश्यकता नहीं है।

इ. पंजी के भाग–1 व 2 के परीक्षण फारमेट को गुणवत्ता नियंत्रण हेण्डबुक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप भरा जाएगा।

3. प्रथम श्रेणी गुणवत्ता नियंत्रण

कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई का मुखिया या कार्यपालन यंत्री उसके प्रभार के कार्यो के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। वह सभी आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगों के लिए जिम्मेदार होगा। पीएमजीएसवाय के मानक बिडिंग दस्तावेजों के अनुसार किये गये अनुबंधों में यह प्रावधान है कि फील्ड

प्रयोगशालाओं की स्थापना ठेकेदार द्वारा की जाएगी। प्रथम श्रेणी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया प्रस्तावित है :–

अ. उचित गुणवत्ता नियंत्रण की अधिकारिक जवाबदारी परियेाजना क्रियान्वयन इकाई के स्तर पर है(पीआईयू)। अगर ठेकेदार गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोग के लिए आधारभूत संरचना जुटाने के लिए जवाबदेह है तो निम्नलिखित चेक–प्रणाली प्रस्तावित की जाती है :–

i. ठेकेदार के द्वारा नामांकित एवं अर्हता प्राप्त स्टाफ के द्वारा सारे परीक्षण किये जायेंगे और उन्हें गुणवत्ता नियंत्रण पंजी के भाग–1 में दर्ज किया जाएगा।

ii. 50 प्रतिशत परीक्षण कनिष्ठ यंत्री के सामने किये जायेंगे और उसमें पाये गये संप्रेक्षण को कनिष्ठ यंत्री गुणवत्ता नियंत्रण पंजी भाग–1 में दर्ज करेगा।

iii. 20 प्रतिशत परीक्षण प्रभारी सहायक यंत्री के समक्ष किये जाने चाहिये जो आपका आकलन गुणवत्ता नियंत्रण पंजी भाग–1 में दर्ज करेगा।

iv. 5 प्रतिशत परीक्षण प्रभारी कार्यपालन यंत्री/पीआईयू के समक्ष किये जाने चाहिये जो अपना आकलन को गुणवत्ता नियंत्रण पंजी भाग–1 में दर्ज करेगा। कार्यपालन यंत्री/पीआईयू यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य में जहां भी अनुरूपता नहीं पायी जाती है वे उसकी रिपोर्ट समय पर जारी की जावे और ठेकेदार उस रिपोर्ट के अनुसार सुधारात्मक कदम नीचे पैरा–(ब) में दिये अनुसार उठाना सुनिश्चित करे।

v. अधीक्षण यंत्री अपने निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट देखेंगे और अपनी टीप गुणवत्ता नियंत्रण पंजी भाग–1 में दर्ज करेंगे। अधीक्षण यंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य में जहां भी अनुरूपता नहीं पायी जाती है उसकी रिपोर्ट समय पर ठेकेदार को जारी हो ओर ठेकेदार उसका पालन समयावधि में करे।

vi. मुख्य अभियंता अपने निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट देखेंगे और अपनी टीप गुणवत्ता नियंत्रण पंजी भाग–1 में दर्ज करेंगे। मुख्य अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य में जहां भी अनुरूपता नहीं पायी जाती है उसकी रिपोर्ट समय पर ठेकेदार को जारी हो और ठेकेदार उसका पालन समयावधि में करे।

ब. परीक्षणों का मासिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में सहायक यंत्री प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कार्यपालन यंत्री को सौंपेगे।जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्ता निर्धारण परीक्षण निर्धारित आवृत्ति पर हो रहे हैं और उनमें निर्धारित शुद्धता का पालन किया जा रहा है। कार्यपालन यंत्री यह भी देखेंगे कि सहायक यंत्री द्वारा जब कभी भी अनुरूपता नहीं पाये जाए तो उसकी रिपोर्ट समय पर जारी की जाए और

ठेकदार द्वारा उसको ठीक करने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए। ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान का नियंत्रण गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों की रिपोर्ट पर आधारित होगा।

4. द्वितीय स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण

द्वितीय स्तर के गुणवत्ता ढांचे में समय–समय पर राज्य गुणवत्ता नियंत्रण इकाई/मॉनिटर्स, सेटअप जो कि राज्य सरकार द्वारा कार्यपालन यंत्री/ पीआईयू से स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया हो, के द्वारा किया जाएगा। गुणवत्ता नियंत्रण का यह चरण काफी महत्वपूर्ण है और इसका रूपांकन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि कार्यपालिक संस्था निर्धारत मापदण्डों के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण रख रही है। राज्य सरकार इस कार्य के लिए किसी भी एजेन्सी को या सेवानिवृत्त अधिकारी जो कि कार्यपालन यंत्री या उससे ऊपर का हो, को प्रयुक्त कर सकती है। राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे इस चरण के उचित कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी करे। राज्य स्तर की गुणवत्ता मॉनिटरिंग निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी :

अ. प्रत्येक स्थान पर एक राज्य गुणवत्ता नियंत्रण समन्वयक (एसक्यूसी) जो कि अधीक्षण यंत्री या उससे वरिष्ठ अधिकारी होगा नियुक्त किया जाएगा जिसके कि निम्नलिखित कार्य होंगे :

i. प्रथम स्तर के गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रमों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना।

ii. राज्य गुणवत्ता मॉनिटरिंग व्यवस्था का समन्वय तथा नियंत्रण करना तथा यह भी सुनिश्चित करना कि राज्य गुणवत्ता मॉनिटर्स की रिपोर्ट का संकलन उचित तरीके से हो।

iii. राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटरिंग व्यवस्था की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना व उनका समन्वय करना। यह भी सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर्स की रिपोर्ट का संकलन उचित तरीके से हो।

iv. एसक्यूएम के निरीक्षणों की मासिक संक्षेपिका तैयार करना और एसक्यूएम व एनक्यूएम की रिपोर्ट के आधार पर वार्षिक गुणवत्ता प्रतिवेदन तैयार करना और उस पर की गई कार्यवाही से अवगत कराना।

ब. राज्य गुणवत्ता इकाई/मॉनिटर(एसक्यूएम) की स्थापना राज्य सरकार द्वारा जिलों में कार्यक्रमों की गुणवत्ता देखने के लिए किया जाना चाहिये। यह मॉनिटर क्रियान्वयन संस्था से अलग होना चाहिये और अपना प्रतिवेदन राज्य गुणवत्ता समन्वयक को देंगे। इस कार्य के लिए गुणवत्ता नियंत्रण संस्था/एजेन्सियां या व्यक्तियों जिनको कि सड़क कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण का अनुभव है को इस कार्य के लिए अनुबंधित किया जा सकता है।

स. एसक्यूएम का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिये जिससे कि प्रत्येक कार्य का कम से कम दो बार निरीक्षण हो सके। प्रथम निरीक्षण कार्य के चलने के दौरान और अंतिम निरीक्षण कार्य के पूर्ण होने के एक माह के भीतर किया जाना चाहिये।

द. एसक्यूसी को मानीटर्स का एक मासिक कार्यक्रम (ब्लाक/जिला वार) कार्यो को नियमित निरीक्षण करने के लिए बनाना चाहिये। एक ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था भी बनाना चाहिये जिससे कि राज्य गुणवत्ता मॉनिटर के सम्प्रेक्षणों का पालन किया जा सके।

इ. एसक्यूएम को निरीक्षण रिपोर्ट के लिए एक विस्तृत प्रपत्र दिया जाए जिसमें कि निम्नलिखित सम्मिलित हों :

i. सड़क व सीडी कार्य का रूपांकन ।

ii. साईट आवश्यकताओं के संबंध में किये गये प्राक्कलन के प्रावधान ।

iii. संविदा का प्रबंधन, ठेकदार द्वारा प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति व कार्यशील गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना।

iv. निर्माण कार्यक्रम तथा कार्य की प्रगति।

v. क्रियान्वयन की रीति एवं निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन।

vi. गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोग शाला की व्यवस्थाएं।

vii. गुणवत्ता निर्धारण पंजी में परीक्षणों का रिकार्ड एवं उनका उचित संधारण।

viii. गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों की शुद्धता, अनुरूपता न होने पर उसकी रिपोर्ट जारी करना (एनसीआर) तथा ठेकेदार द्वारा एनसीआर पर की गई कार्रवाई।

ix. विभाग के अधिकारियों/एसक्यूएम/एनक्यूएम द्वारा किये गये निरीक्षण और उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन।

x. सीडी कार्य और साइट ड्रेन के कार्यो के निष्पादन एवं प्रावधान।

xi. सड़क फर्नीचर, लोगो, साईन बोर्ड व कॉशन बोर्ड।

xii. ठेकेदार को समय पर भुगतान।

xiii. अन्य बिन्दु जैसे कि क्रियान्वयन एजेन्सी और ठेकेदार के स्टाफ की तकनीकी जानकारी इत्यादि।

एफ. राज्य गुणवत्ता समन्वयक अपनी रिपोर्ट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट को भेजेगा और इसकी एक प्रति एसई/सीई को अग्रेषित करेगा। एसक्यूसी को अनुपालन रिपोर्ट एसई/सीई के माध्यम से भेजी जाएगी। सभी ऐसे मामले जहां पर की रिपोर्ट प्रेषित करने में विलंब होता है या स्वीकृत गुणवत्ता मापदण्डों से हटकर कोई कार्य किया गया है उन्हें गंभीरता से लिया जावे।

जी. एसक्यूएम, पीआईयू तथा ठेकेदार के साथ में बैठक आयोजित करेंगे और क्षेत्रीय तथा जिला प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली उचित ढंग से कार्य कर रही है।

एच. डिजाईन, परीक्षण तथा क्रियान्वयन के संबंध में एसक्यूसी/एसक्यूएम राज्य तकनीकी संस्थाओं (एसटीए) से संवाद स्थापित करेंगे।

आई. प्रतिमाह एसक्यूसी, एसक्यूएम निरीक्षण की एक संक्षेपिका तैयार करेंगे जिसमें कि जिलेवार सम्प्रेक्षण होंगे और उनकी प्रतियां निर्धारित प्रारूप में डीपीआईयू, सीई, नोडल विभाग तथा एनआरआरडीए को प्रस्तुत करेंगे।

जे. राज्य गुणवत्ता समन्वयक एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके एनआरआरडीए को राज्य नोडल एजेन्सी के माध्यम से भेजेंगे। इस रिपोर्ट में एसक्यूएम प्रणाली की प्रगति के संबंध में विस्तृत विवेचना होगी तथा इसमें एसक्यूएम तथा एनक्यूएम रिपोर्टो की जानकारी और उनके ऊपर की गई कार्यवाही तथा समय–समय पर पाई गई खामियों तथा उन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी होगी।

5. तृतीय स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण

गुणवत्ता नियंत्रण के तृतीय चरण का मुख्य उद्देश्य प्रथम एवं द्वितीय चरण में की गई कार्यवाही का सत्यापन व पुनरीक्षण करना है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्ता प्रबंधन के निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति हो रही है।

गुणवत्ता नियंत्रण ढांचे के तृतीय चरण में एनआरआरडीए स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण मॉनिटर(एनक्यूएम) जो कि बहुधा राज्य/केन्द्रीय संस्थानों के सेवानिवृत्ता वरिष्ठ यंत्री होते हैं, की नियुक्ति करती है। एनक्यूएम को प्रत्येक दो माह में एकबार इस आशय का पत्र दिया जाता है कि वे कार्यक्रम अनुसार आगामी दो माह में निरीक्षण करें। एनक्यूएम का एक निरीक्षण में एक राज्य के तीन जिलों का भ्रमण अपेक्षित है। एनक्यूएम प्रत्येक जिले में तीन दिन से अधिक न लगाते हुए सामान्यतः प्रत्येक दिन दो से चार कार्यो का निरीक्षण (दो चालू कार्य या एक चालू कार्य तथा दो पूर्ण कार्य या चार पूर्ण कार्य) करते हैं। जिन भी राज्यों/जिलों/ब्लाकों में निरीक्षण होना है उनके विवरण पत्र में जारी किये जाते हैं। निरीक्षण के लिए प्रपत्र निर्धारत हैं (प्रपत्र डी–1 व डी–2, भाग– पप)। एनक्यूएम अपनी रिपोर्ट पीआईयू, एसक्यूसी व एनआरआरडीए को सौंपते हैं। एनक्यूएम निरीक्षण के पश्चात् संबंधित यंत्रियों से विचार–विमर्श करते हैं जिससे कि निरीक्षण में आयी बातों का पुनरीक्षण किया जा सके और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिये जा सके। जहां सुविधा हो वहां एनक्यूएम से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे एसक्यूसी व एसटीए से भी विचार–विमर्श करेंगे।

राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर्स विभिन्न कार्यो का निरीक्षण, उनको दी गई मार्गदर्शिका (प्रायरटाईजेशन आफ वर्क्स फार इन्सपेक्शन के पैरा–2 के अधीन) के अनुसार करते हैं। वे निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक कार्य के प्रत्येक भाग का सामग्री व शिल्प के पैमाने पर मूल्यांकन करेंगे साथ ही किये गये परीक्षणों और उनके परिणामों की भी समीक्षा भी करेंगें। वे ठेकेदार/डीपीआईयू/एसक्यूएम की परीक्षण/निरीक्षण का विशलेषण भी करेंगे। निरीक्षण पश्चात् अपने निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति डीपीआईयू के मुखिया को भी सौपेंगे।

राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर्स प्रत्येक कार्य की अलग निरीक्षण प्रतिवेदन व साथ में एक सामान्य विशलेषण जो कि कार्यो के निरीक्षण की रिपोर्ट पर आधारित होता है, सौंपेंगे। क्योंकि एनक्यूएम का कार्य दोष निकालने से अधिक मार्गदर्शन देना तथा सुधारात्मक सुझाव देना है इसलिये उनका विशलेषण बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सावधानी से किया जाना चाहिये जिससे कि सिस्टम की खामियां या कमियों में सुधार हो सके। उसमें निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये :–

- रूपांकन एवं प्राक्कलन
- क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण
- गुणवत्ता नियंत्रण
- संविदाकारी इत्यादि

एनआरआरडीए द्वारा एनक्यूएम की रिपोर्ट का विशलेषण किया जाता है और उसके बाद राज्यों से निवेदन किया जाता है कि वे शीघ्रातिशीघ एनक्यूएम की रिपोर्ट पर योग्य कार्यवाही करें।

6. गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं

राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे ठेकेदारों द्वारा मैदानी स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना सुनिश्चित करें। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना है कि जिला स्तर पर ग्रामीण सड़क मेन्युअल के अनुसार ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं और कार्यशील रहें। उनमें उपकरण व प्रशिक्षित स्टाफ भी हो। इंजीनियरिंग कॉलेजों या अन्य संस्थाओं की प्रयोगशालाओं का उपयोग उच्च स्तर की गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों के लिए किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारें ऐसी प्रयोगशालाओं को चिन्हित कर उसमें किये जाने वाले परीक्षणों की दर निर्धारित कर सकती है। एनआरआरडीए जिला एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की आवश्यकतानुसार उपकरणों का राशि उपलब्ध कराती है।

इन प्रयोगशाला के कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित किये जाने चाहिये जिससे कि गुणवत्ता परीक्षण की प्रभावशीलता एवं शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।